तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम संतोष कासट वगैरा प्रार्थना पत्र संख्या 61/2024 (2024/137) अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-11-2025	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में उप तहसीलदार गुड़ा विश्नोईयान को ग्राम भाकरासनी. के खसरा नम्बर 203/1 रकबा 1.8862 की वर्तमान मौके की जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। उप तहसीलदार गुडा विश्नोईयान के पत्रांक/भू.अ./2025/693 दिनांक 10.11.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल हों। जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 203/1 रकबा 1.8862 हैक्टयर किस्म रियायसी भूमि के मौके पर कुछ भू. भाग में वर्कशाप नुमा तदमिरात बने हुए है किन्तु किसी भी निर्माण में कोई कार्य दुकान/फैक्ट्री आज दिनांक में संचलित नहीं है काफी समय से ताला बंद पडे है। अनवान संतोष कासट की रियायसी भूमि भूमि है जिस पर उनका स्वंय का रहवासी मकान बना हुआ है। उसकें अतिरिक्त पूर्व में सतोष आर्ट. नाम से पत्थर की आर्ट निर्माण की फैक्ट्री जरूर थी किन्तु वर्तमान में सतोष आर्ट की मालिक श्रीमति संतोष की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके पति रामकिशोर कासट पार्किसन रोग से पीडित है तथा वृद्व है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा उक्त उपक्रम में लगी मशीनरी हटा दी है तथा आर्ट उत्पादन कार्य बंद कर दिया है। वर्तमान में रिकार्ड अनुसार भूमि की किस्म रिहायशी है, अतः धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन वाद विचारित योग्य प्रतीत नही होता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जा सकता है। पत्रावली मे बहस सूनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी के विरूद्व पेश किया गया धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण नही बनता है। अत तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थी के जबाव के तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होने से खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में अपनी भूमि का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	